



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263649
CG-DL-E-06062025-263649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2025/ज्येष्ठ 16, 1947

No. 330]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2025/JYAISTHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2025

सं. 14/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 373(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “विटामिन-ए पामिटेट” (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 29362100, 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, और 29362990 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 06/07/2024-डीजीटीआर, दिनांक 10 मार्च, 2025, जिसे दिनांक 10 मार्च, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

- (i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी डंपिंग हुई है;
- (ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषय वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29362100, 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, and 29362990	विटामिन ए पामिटेट", विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू / जीएम और विटामिन ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/ जीएम दोनों को इसकी सभी शक्तियों और रूपों में, स्थिरीकरण के साथ अथवा इसके बिना * शामिल किया गया है।	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शांगयु एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड	14.95	किलोग्राम	यूएसडॉलर

2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्रम सं. 1 के अलावा कोई भी उत्पादक	20.87	किलोग्राम	यूएसडॉलर
3.	-वही-	-वही-	स्विट्जरलैंड	स्विट्जरलैंड सहित कोई देश	डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	0.87	किलोग्राम	यूएसडॉलर
4.	-वही-	-वही-	स्विट्जरलैंड	स्विट्जरलैंड सहित कोई देश	क्रम सं. 3 के अलावा कोई भी उत्पादक	8.2	किलोग्राम	यूएसडॉलर
5.	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	कोई भी उत्पादक	11.09	किलोग्राम	यूएसडॉलर

* पीयूसी के दायरे में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू / जीएम शामिल नहीं है, जिसका उपयोग पशु उपभोग के लिए किया जाता है और पीयूसी की तुलना में इसके अंतिम उपयोग अलग हैं।'

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190349/19/2025-टीआरयू अनुभाग -सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2025

No. 14/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 373(E).— Whereas, in the matter of “Vitamin-A Palmitate” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 29362100, 29362290, 29362800, 29369000, 29362690 and 29362990 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the China PR, European Union and Switzerland (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, vide notification F . No.06/07/2024 – DGTR, dated the 10th March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th March 2025, has come to the conclusion that-

- (i) the product under consideration has been exported to India from the subject countries at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury due to dumping in respect of the subject goods;
- (iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

SN	Tariff Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29362100, 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, and 29362990	Vitamin-A Palmitate”, covering both Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/Gm in all its strengths and forms, with or without stabilization*	China PR	Any country including China PR	Shangyu NHU Bio-Chem Co., Ltd.	14.95	KG	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than SN 1	20.87	KG	USD
3	-do-	-do-	Switzerland	Any country including Switzerland	DSM Nutritional Products Limited	0.87	KG	USD
4	-do-	-do-	Switzerland	Any country including Switzerland	Any producer other than SN 3	8.2	KG	USD
5	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Any producer	11.09	KG	USD

**The scope of the product under consideration does not cover Vitamin-A Palmitate 1.6 MIU/Gm which is used for animal consumption and has different end-uses compared to the product under consideration”*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/19/2025-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.